जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा/जोन–7/2023/डी– 666 दिनांक 12/4/23

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती शान्ति देवी स्व. श्री रूप सिंह	श्री रूप सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह	89	198.60 व.ग.	हथरोई गढी गृ.नि.स.स.	जगदम्बा कालोनी	पट्टा	समिति आवंटन पत्र की फोटो प्रति, पंजीकृत हक त्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दस्तावेज गुमशुदगी की ऑनलाईन रिपोर्ट, शपथ पत्र के आधार पर

उपायुक्त, जोन–7
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपायुक्त, जोन–07 / 2023 / डी– 693 दिनांक 19/4/2023

पटटा–विलेख निरस्तीकरण आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डा0 सन्तोष जैन पत्नी श्री डा0 डी.के. कासलीवाल को मूल भूखण्ड संख्या 36 क्षैत्रफल 418.72 वर्गगज की लीज डीड जरिये कमांक–9839 दिनांक 27.03.2001 को जारी की गयी थी। उसके पश्चात उक्त भूखण्ड श्रीमती सन्तोष जैन द्वारा श्री मोहम्मद आरिफ को विकय किया गया तथा श्री मोहम्मद आरिफ द्वारा भूखण्ड का दक्षिणी भाग (भूखण्ड संख्या–36) क्षैत्रफल 210.22 को जरिये विकय पत्र श्री आनन्द बिहारी पुत्र श्री मंगल बिहारी को विकय कर दिया गया। जिसका नाम हस्तान्तरण जेडीए द्वारा दिनांक 26.10.2002 को जारी किया गया। भूखण्ड का उत्तरी हिस्सा (भूखण्ड संख्या–36) क्षैत्रफल 209.6 श्री मोहम्मद आरिफ द्वारा कर्नल बलदेव सिंह जग्गी को विकय कर दिया गया। भूखण्ड का उपविभाजन कर दिनांक 08.01.2003 को भूखण्ड संख्या 36ए क्षैत्रफल 208.50 वर्गगज का उपविभाजन स्वीकृति पत्र जारी किया गया। कर्नल बलदेव सिंह जग्गी द्वारा भूखण्ड संख्या 36ए को श्री तेजवीर सिंह राधव पुत्र श्री महावीर सिंह राधव को विकय कर दिया गया। श्री तेजवीर सिंह राघव की मृत्यु पश्चात उनके पुत्र श्री आदर्श कुमार सिंह द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन किया गया जिसके कम में दिनांक 31.05.2021 को श्री आदर्श कुमार सिंह के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। श्री आदर्श कुमार सिंह राघव पुत्र स्व. श्री तेजवीर सिंह राघव द्वारा आनलाईन भू स 36 ए के फ्री होल्ड लीजडीड बाबत आवेदन किया गया तथा उनके द्वारा सूचित किया गया कि भूखण्ड संख्या 36 के भू–स्वामी द्वारा मूल लीज डीड जेडीए में समर्पित नही की जा रही है।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि / अभियान / 2021 दिनांक 21.04.2022 में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार भूखण्डधारी को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्र कमांक–597 दिनांक 24.03.23 को पत्र प्रेषित कर 7 दिवस में भू सं 36 का पटटा जविप्रा में समर्पित करने या फ्री होल्ड के आवेदन बाबत सूचित किया गया तथा जरिये कमांक–596 दिनांक 24.03.23 को सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन भी कराया गया। परन्तु भूखण्डधारी द्वारा आदिनांक तक भू0स0 36 का पटटा जविप्रा में समर्पित नहीं किया गया है न हीं फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया गया है तथा सार्वजनिक विज्ञप्ति के विरूद्ध कोई आपत्ति भी प्राप्त नही हुयी है। अतः नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि / अभियान / 2021 दिनांक 21.04.2022 में दिये गये स्पष्टीकरण के क्रम में भूखण्ड संख्या 36 योजना गोम्स डिकेन्स कालोनी का पटटा विलेख निरस्त किया जाता है। भूखण्ड संख्या 36 का दक्षिणी भाग क्षैत्रफल 210.22 वर्गगज के विधिक भू–स्वामी को मूल दस्तावेज समर्पित करने पर उक्त भाग की लीज डीड प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।

(रामरतन शर्मा)
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी
जोन-7, ज.वि.प्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपायुक्त, जोन–07/2023/डी–　　　　　　दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सूचनार्थ।
2. श्रीमान सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सूचनार्थ।
3. श्रीमान उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक(I,II,III), जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी उप पंजीयक को निर्देशित किया जाये कि उपरोक्त पटटे के आधार पर अन्य कोई दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करे।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त पटटे के रदद करने की आम सूचना राज्य स्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करे।
5. श्री आनन्द बिहारी पुत्र श्री मंगल बिहारी, निवासी 36, गोम्स डिफेन्स कालोनी, जयपुर को प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप मूल दस्तावेज समर्पित करते हुये आपके स्वामित्व का फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का श्रम करे।
6. श्री आदर्श कुमार सिंह राघव पुत्र स्व. श्री तेजवीर सिंह राघव निवासी 36 ए गोम्स डिफेन्स कालोनी जयपुर
7. रक्षित पत्रावली।

(रामरतन शर्मा)
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2023 / डी– 723 दिनांक 24/4/23

आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन नियम – 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम– 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू– उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति / सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स. / निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान–2025 / जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री सी.आर. पचार पुत्र श्री मुखराम एवं श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री चेतराम पचार	श्री सी.आर. पचार पुत्र श्री मुखराम एवं श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री चेतराम पचार	ए–39 एवं ए–57–58	नवजीवन	विद्युत नगर	597.5 वर्ग मीटर	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. निदेशक– नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक– मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रारूप–13

{नियम13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक डी-793 दिनांक 21-04-2023

लोक सूचना

अद्योहस्ताक्षरी को जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जारी विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरित होने के कारण योजना के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एंव आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(5) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एंव राजस्थान अभिदृति अधिनियम की धारा 63(II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एंव सपठित राजस्थान अभिवृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावसित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें :–

क्र. सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना	ग्राम /तहसील	खसरा	रकबा हैक्ट	स्वामित्व
1	दी फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.	अशोक विहार–एफ ब्लॉक	ग्राम झालाना डूंगर, तहसील–सांगानेर	343	0.08	काना पुत्र गणेश, जाति मीणा, ग्राम झालाना डूंगर, तहसील–सांगानेर।

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग आवासन एंव स्वायत्व शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.17(1)निविवि/अभियान/2021/मु.मु. ज्ञा जयपुर दिनांक 28.02.2021 के बिन्दु संख्या के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वेसाधारण को सूचित किया जाता हे कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नंबर पी.बी. एस.एफ 209 पार्किंग भवन द्वितीय तल जविप्रा स्थित न्यायालय के कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय में आपतियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पूर्नग्रहित किया जा सकेंगा।

नोटिस आज दिनांक 21-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–04
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष – 0141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

Com-3/D-Letter

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2023 / डी– 792 दिनांक 21-04-2023

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	391	महावीर नगर प्रथम	लीना शर्मा एवं हीना पुरस्वानी पुत्रीया स्व. श्री बिशम्बर नाथ पुरस्वानी	श्रीमती पूजा पुरस्वानी पत्नी श्री बिशम्बर नाथ पुरस्वानी	पंजीकृत हक त्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।
2	135	प्रेम नगर	श्रीमती मधु बाला मीणा पत्नी स्व. श्री शिवदत्त बागडी	श्री रामप्रताप बागडी पुत्र श्री शंकर लाल बागडी	पंजीकृत हक त्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org